राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1736/2012

कुमारी निर्मल मेहरा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.12.2012
आदेश की दिनांक : 28.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पर दिनांक 25.01.1992 को नियुक्ति हुई और अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक झालावाड में पदस्थापित हुई। अपीलार्थी के काम की संबंधित अधिकारियों द्वारा सराहना की गई, विशेष रूप से 14.11.1997 को जब उसने एक लड़की की जान बचाई और 26 जनवरी, 1998 को उसे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। दिनांक 25.4.1998 (अनुलग्नक–1) को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 1998 में नियम 28 के तहत हेड कांस्टेबल के पद पर गैलेन्ट्री पदोन्नति देने के लिए अभिशंषा की गई थी। इसके पश्चात संबंधित अधिकारियों के बीच पत्राचार किया गया और दिनांक 22.06.1998 (अनुलग्नक–2) को पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज कोटा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, जयपुर को पत्र लिखा गया जिसमें नियमों के तहत पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है। हेड कांस्टेबल के पद पर अपीलार्थी को गैलेन्ट्री पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और अपीलार्थी ने नियमित रूप से बार–बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3), लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे हेड कांस्टेबल के पद पर गैलेन्ट्री पदोन्नति के लिए कोई विचार नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (बी) में प्रावधान है कि प्रतिवर्ष रिक्तियों के 10 प्रतिशत पदों को गैलेन्ट्री के आधार पर भरा जाएगा। जब अपीलार्थी के प्रकरण में संस्तुति कर दी गई है, तो उसके गैलेन्ट्री प्रमोशन पर विचार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी गैलैन्ट्री प्रमोशन हेतु पूर्ण पात्रता रखती है। अपीलार्थी ने दिनांक 04.09.2012 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर गैलेंट्री प्रमोशन वर्ष 1998 से प्रदान करें और समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 के तहत विशेष पदोन्नति का प्रावधान है, जिसके अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की 20 साल की बैदाग सेवा का परीक्षण करने के उपरान्त पदोन्नति दी जाती है। अपीलार्थी को वर्ष 1993 में 11 योम अवैतनिक अवकाश एवं वर्ष 1998 में सात योम अवैतनिक अवकाश घोषित किए गए। अपीलार्थी के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया लेकिन अपीलार्थी पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि कोई भी कर्मचारी पदोन्नति की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। अपीलार्थी को पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज कोटा द्वारा 500 रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर गैलेंट्री प्रमोशन वर्ष 1998 से प्रदान करने और समस्त पारिणामिक परिलाभ दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पर दिनांक 25.01.1992 को नियुक्ति हुई और अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक झालावाड के अधीन पदस्थापित हुई। अपीलार्थी ने दिनांक 14.11.1997 को चंद्रभागा नदी में स्नान के दौरान डूबती बालिका को बचाकर उसके प्राणों की रक्षा करने पर अपनी जान को खतरे में डालकर दिलेरी का परिचय देने के कारण अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति हेतु पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 25.04.1998 (अनुलग्नक–1) द्वारा अभिशंषा की गई। इस अपील में अपीलार्थी के उज्ज्वल रिकॉर्ड, सराहनीय कार्य, निर्भिकता एवं दिलेरी के आधार पर अभिशंषा की गई। पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज कोटा द्वारा दिनांक 22.06.1998 (अनुलग्नक–2) द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (ए) के तहत अपीलार्थी को पदोन्नत करने हेतु अभिशंषा की गई है। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में विशेष पदोन्नति द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (बी) में प्रावधान है कि प्रतिवर्ष रिक्तियों के 10 प्रतिशत पदों को गैलेन्ट्री के आधार पर भरा जाएगा। जब अपीलार्थी का प्रकरण में

संस्तुति कर दी गई है, तो उसके विशेष पदोन्नति पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब के अनुसार राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 के तहत विशेष पदोन्नति का प्रावधान है, जिसके अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की 20 साल की बैदाग सेवा का परीक्षण करने के उपरान्त पदोन्नति दी जाती है। अपीलार्थी को वर्ष 1993 में 11 योम अवैतनिक अवकाश एवं वर्ष 1998 में सात योम अवैतनिक अवकाश घोषित किए गए। अपीलार्थी के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया लेकिन अपीलार्थी पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। साथ ही निवेदन किया गया कि कोई भी कर्मचारी पदोन्नति की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। अपीलार्थी को पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज कोटा द्वारा 500 रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड़ एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कोटा रेंज कोटा द्वारा अपीलार्थी के सराहनीय कार्य, निर्भिकता एवं दिलेरी के दृष्टिगत और उज्जवल रिकॉर्ड के आधार पर हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस प्रकरण में लिए गए निर्णय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (बी) के अनुसार 10 प्रतिशत रिक्त पदों के विरूद्ध उन कार्मिकों की ही पदोन्नति की जाएगी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो या जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उनका कार्य अच्छा एवं बैदाग रहा हो। इस प्रकार नियमों से स्पष्ट है कि विशेष पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारी द्वारा नियमों में उल्लेखित चित्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उस दशा में 20 वर्ष सेवा की बाध्यता नहीं है। अपीलार्थी महिला कांस्टेबल है और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उसके द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर चन्द्रभागा मेला झालावाड़ के दौरान चन्द्रभागा नदी में स्नान के दौरान डूबती बच्ची को बचाया। अतः अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल पद पर विशेष पदोन्नति दिए जाने के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे और नियमों के तहत विशेष पदोन्नति हेतु पात्र पाये जाने की दशा में पदोन्नति प्रदान की जाकर उसे अन्य सभी परिलाभ प्रदान किए जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य